आर.ई.ओ.–136

# जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० REO/प्रे० 498  जोधपुर, दिनांक 17/5/07

## आदेश

*****

समन्वय समिति की दिनांक 07.04.07 को आयोजित 103वी बैठक में कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधन दिनांक 18.09.2004) के पैरा 7(iii) एवं निगम आर०ई०ओ०–132 के तहत शहीद कोटे के अन्तर्गत एक कृषि कनेक्शन देने संबन्धित प्रचलित नियमों पर, विस्तृत चर्चा कर लिए गये निर्णय के अनुपालना में निगम आर०ई०ओ०–132 को संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि:–

1. शहीद कोटे में कनेक्शन तभी देय होगा जब शहीद की विधवा या आश्रित अथवा माता–पिता के नाम पर शहीद के मूल गांव या उससे संबन्धित पंचायत समिति या शहीद की विधवा के पीहर के मूल गांव या उससे सम्बन्धित पंचायत समिति में पुश्तैनी राजस्व भूमि हो

अथवा

2. राज्य सरकार द्वारा शहीद की विधवा या आश्रित अथवा माता–पिता को कही पर की गई आवंटित राजस्व भूमि पर।

उपरोक्त शहीद कोटे का एक कृषि कनेक्शन जिला कलेक्टर/सैनिक कल्याण बोर्ड ,अधिकारी द्वारा जारी शहीद होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

यह निर्णय उन सभी आवेदनों पर भी लागू होंगे जिनके मांग पत्र (Demand Note) जारी हो चुके है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(ए. एम. लोढा)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एंव आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।